134

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 ।।।/विविध/मुरैना/भू0रा0/2017/3466

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र वासुदेव प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खडला तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान

..........................आवेदक

बनाम

1—गंगादेवी पत्नी रतना भारद्वाज जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जींगनी तह0 व जिला मुरैना म0प्र0

2—नरेश चन्द गुप्ता तहसीलदार मुरैना तह0 व जिला मुरैना म0प्र0

.......................अनावेदक

श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दि. 22/9/17 को प्रस्तुत

22-9-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

CF
03/10/17

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 29 म0प्र0भू0रा0 संहिता

श्रीमान जी,

आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है —

1— यह कि ग्राम जींगनी तह0 व जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्र0 661 रकबा 0.140 है0 में से हिस्सा 1/2 भाग के माधौप्रसाद पुत्र तेजसिंह स्वामी व आधिपत्यधारी थे।

2— यह कि माधौप्रसाद की मृत्यु के पश्चात आवेदक व अनावेदक द्वारा पृथक पृथक वसियतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। जो पटवारी मौजा द्वारा विवादित होने पर निराकरण हेतु तहसील में प्रस्तुत किये जिस पर से तहसीलदार महोदय मुरैना वृत 4 द्वारा प्र0क्र0 07/16—17 X अ/6 पर पंजीबद्व किया जाकर विचाराधीन है।

3— यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0भू0रा0 संहिता का इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य दीवानी दावा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 मुरैना में प्र0क्र0 96/17ए0इ0दी0 पर दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें स्वत्व का निराकरण होना है। दीवानी न्यायालय में चल रहे प्रकरण के निराकरण तक नामान्तरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावे।

4— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/07/2017 द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र को अबैध व मनमाने आधार पर निरस्त कर दिया। जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर में प्रस्तुत की जो निरस्त कर दी गई। राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्व मान्यनीय उच्च न्यायालय बैंच

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / विविध / मुरैना / भूरा / 2017 / 3466

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है। आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	